अध्याय चतुर्थ
प्रदतों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.0 **प्रस्तावना :–**

शोधकर्ता पहले तीन अध्यायों में क्रमशः प्रथम अध्याय में शोध परिचय का विवरण किया गया है जिसमें योजना क्यू चालू की गई इसका परिचय, बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान, सर्व शिक्षा अभियान की विविध योजाओं का संक्षिप्त विवरण एवम् मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम का परिचय दिया गया है।

दूसरे अध्याय में शोधकर्ता ने अनुसंधान संबंधित साहित्य का महत्व, उसका लाभ एवं विविध शोध संबंधित साहित्य का संकलन किया गया है। इसके बाद तीसरे अध्याय में शोध प्रविधि का विवरण किया गया है जिसमें शोध अभिकल्प, शोध विधि, जनसंख्या न्यादर्श की प्रविधि, न्यादर्श चयन की विधि, शोध में प्रयुक्त उपकरण, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया का परिचय दिया गया हैं

प्रस्तुत शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए सर्व–शिक्षा अभियान के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों का उपलबियों को जानने के लिए किया गया है जिसमें भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल में बच्चों को आकर्षित करने के लिए यह योजना चालू की। इसमें भी खास करके आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को प्राथमिक स्कूल में आकर्षित करने के लिए यह योजना चालू की है,जिसमें भारत सरकार के शिक्षा विभाग नें निम्नलिखित उद्देश्यों को रखा गया है :–

1) प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि करना, 2) छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोडने की प्रवृति मे कमी लाना।

3) निर्बल आय वर्ग के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। 4) विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामजिक सौहार्द्र, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना जागरूक करना 5) ग्राम्य स्तर पर पूरक रोजगार के तक पूरी करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर शोधकर्ता ने प्रदत्तों का संकलन करने के लिए शोधप्रश्नों के आधार पर तीन स्तर रखा गया है :–

1) प्राथमिक स्कूल में नामांकन वृद्धि हुई है या नहीं 2) बच्चों को पोषणयुक्त आहार मिल रहा है या नहीं 3) सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को बिना भेदभाव से एक स्थान पर भोजन उपलब्ध हो रहा है क्या। उपरोक्त तीन स्तर के आधार पर जो शोध प्रश्न के आधार पर आंशिक संरचित साक्षात्कार/अवलोकन अनुसूची का प्रयोग करके साक्षात्कार किया गया है, जिसमें मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों, मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी करने वाले स्कूल के आचार्य, गाँव के सरपंच तथा सदस्यों, मध्याह्न भोजन बनाने वाले संचालक तथा मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों के अभिभावकों से साक्षात्कार किया गया। इसके आधार पर प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया है।

1) मध्याह्न भोजन योजना के कारण प्रथमिक स्कूल में वृद्धि हुई है क्या। इसमें पांच प्राथमिक स्कूलों के 1995 से 2009 का वार्षिक नामांकन का तालिका बनाकर इसके आधार पर वर्ष तथा विविध वर्ग के आधार पर नामांकन का ग्राफ बनाकर विश्लेषण किया गया जो इस प्रकार है :

अ) मध्याह्न भोजन योजना के कारण प्राथमिक स्कूल में वृद्धि हुई है क्या। इस विधान के आधार पर पाँच स्कूल के वार्षिक नामांकन के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

वार्षिक नामांकन तालिका–1

श्री राभडा प्राथमिक शाला वार्षिक नामांकन (1995-2009)

क्रम	वर्ष	कुल संख्या	कुमार	कन्या	एस.सी		एस.टी		ओ.बी.सी		सामान्य	
					कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
1	1995	268	153	115	12	11	-	-	62	57	81	51
2	1996	267	153	115	11	12	1	1	58	56	86	46
3	1997	259	139	120	10	13	1	1	51	59	77	46
4	1998	259	152	107	10	15	1	1	90	46	50	44
5	1999	244	142	102	10	16	-	-	77	42	54	43
6	2000	234	138	96	11	10	-	-	86	52	10	33
7	2001	219	119	100	13	13	-	-	78	61	28	26
8	2002	221	121	100	13	12	-	-	74	62	33	26
9	2003	219	110	109	14	13	-	-	65	68	30	28
10	2004	232	115	117	13	17	-	-	73	73	28	27
11	2005	220	110	110	13	14	-	-	68	70	28	26
12	2006	224	111	113	15	16	-	-	72	74	23	23
13	2007	222	111	111	15	14	-	-	68	74	27	23
14	2008	219	112	107	10	18	-	-	73	63	23	26
15	2009	227	105	122	19	20	-	-	73	78	13	24

उपरोक्त नामांकन तालिका –1 दर्शायी गई है, जिसमें 1995 से लेकर 2009 तक का कुल संख्या कुमार–कन्या, अनुसूचित जाति की कुमार–कन्या, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुमार–कन्या के नामांकन दर्शाया गया है, इसके आधार पर शोधकर्ता ने अपना विश्लेषण सरल बने इस लिए सर्व प्रथम वर्ष और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्यवर्ग के कुमार –कन्या को एक स्तम्भ/रेखा ग्राफ में दर्शाया गया है, जो निम्नानुसार है :–

नामांकन स्तम्भ ग्राफ–10

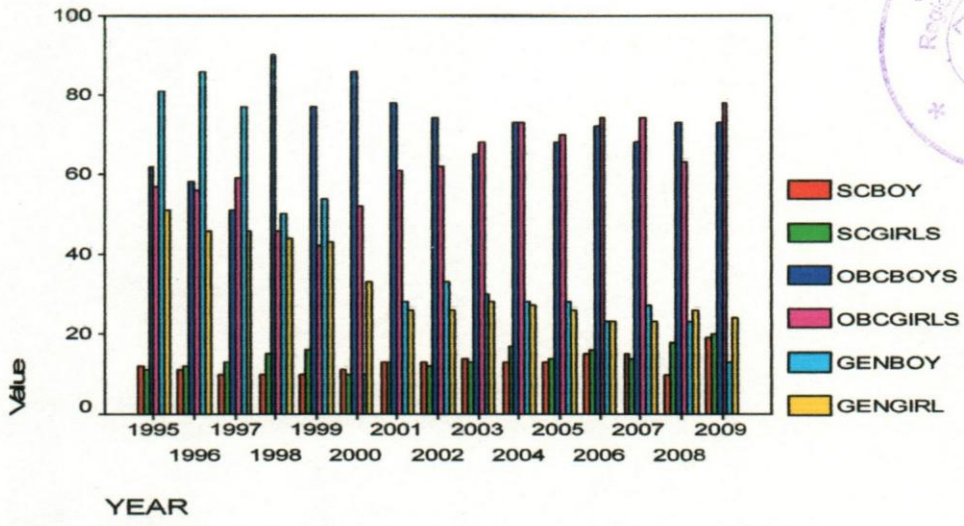

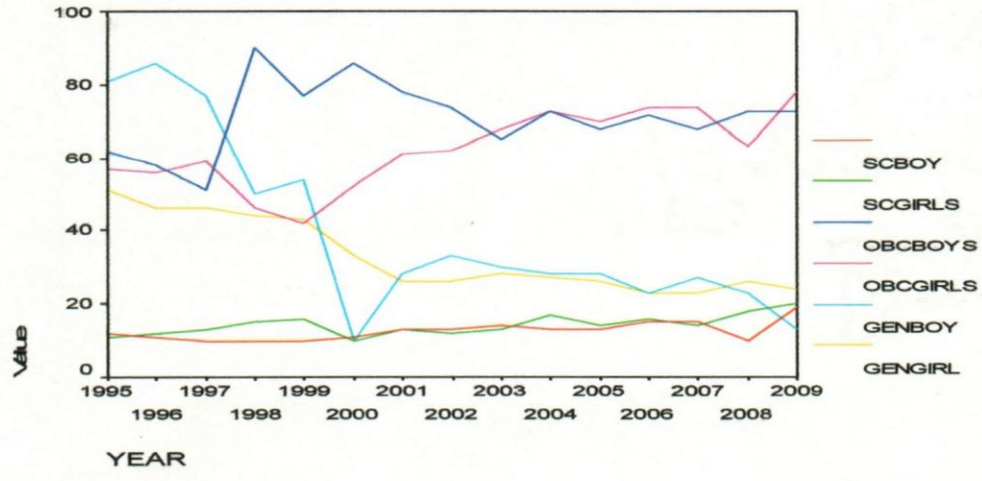

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ–1 में देखें तो साफ नजर आता है कि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में 1995 से लेकर 2009 तक

निरंतर प्रति वर्ष नामांकन में वृद्धि हुई है। इसका यह कारण है कि 1995 से साप्ताहिक मेनू के आधार पर मध्याह्न भोजन मिल रहा है और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसकों जोड़ा गया जो उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

लेकिन जब सामान्य वर्ग के नामांकन देखें तो 1995 से लेकर 2009 तक में निरंतर कमी आ रही है, जो एक साफ विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जब मध्याह्न भोजन चालू नही था तब अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में नामांकन मे कमी दिखाई पड़ती है। और सामान्य वर्ग के बच्चों में नामांकन में वृद्धि हुई है। लेकिन जब मध्याह्न भोजन साप्ताहिक मेनू के आधार पर दिया गया तब से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की संख्या में नामांकन में प्रतिवर्ष निरंतर बढ़ोतरी हुई हैं। जो एक प्रकार का विरोधाभास साबित होता है।

जब शोधकर्ता ने आचार्य से साक्षात्कार किया गया तो, तब आचार्य ने बताया कि सामान्य वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को एक नीजी स्कूल में दाखिला दिला लेते है जो कि एक प्रकार की असमानता साबित होती हो। जब असमानाता की बात आती है तो कह सकते हैं कि यह असमानता तो प्राचीनकाल से चलती आ रही है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों समाज में व्याप्त थी, जो आज भी चल रही है।यही बड़ी कराजता की बात है कि सारे विश्व के साथ भारत देश एक अत्य आधुनिक देश के रूप में उभरकर सामने आने लगा है कि लेकिन असमानता अपने आप में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इत्यादि।

उपरोक्त लिखित चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार के बच्चें प्राथमिक स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि, उसको मध्याह्न भोजन मिल रहा है और सामान्यवर्ग के बच्चे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योकि उसके परिवार वाले आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठे हुए हैं, इसीलिए अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेज रहे हैं।

शोधकर्ता ने तालिका–1 ओर स्तम्भ/रेखा ग्राफ–1 के आधार पर अलग–अलग जाति के आधार पर स्तम्भ साफ बनाया गया हो।

ग्राफ–2 एस.सी. लड़का–लडकी

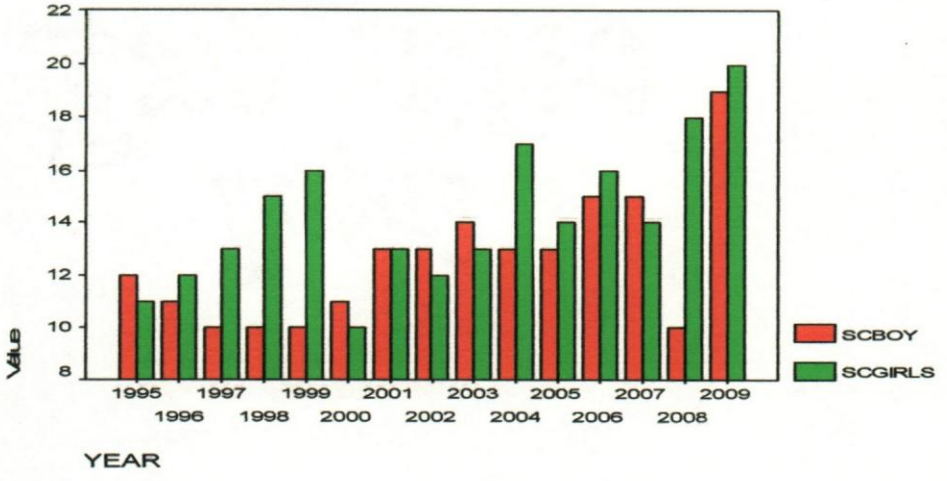

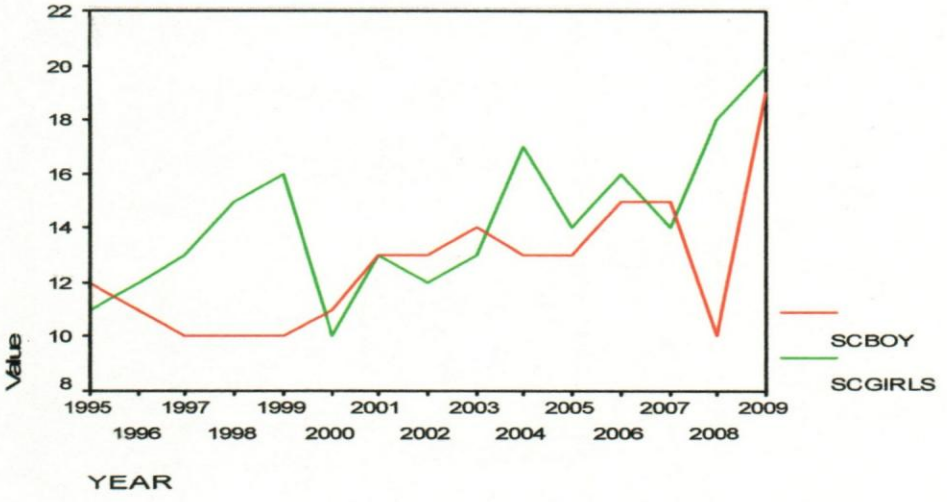

स्तम्भ/रेखा ग्राफ–2 पर दशाई गई अनुसूचित जाति की संख्या जो 1995 से लेकर 2009 नामांकन वृद्धि हुई है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन के कारण नामांकन में वृद्धि हुई है। क्योंकि जब शोधकर्ता ने प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन लेते समय देखा तो अनूसूचित जाति की लड़का–लड़की दोनों की संख्या थी, वह सब भोजन लेते थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य खास

करके इन जातियों के लिए था। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस योजना का प्रभाव पड़ा है।

ग्राफ–3 ओ.बी.सी. लड़का–लडकी

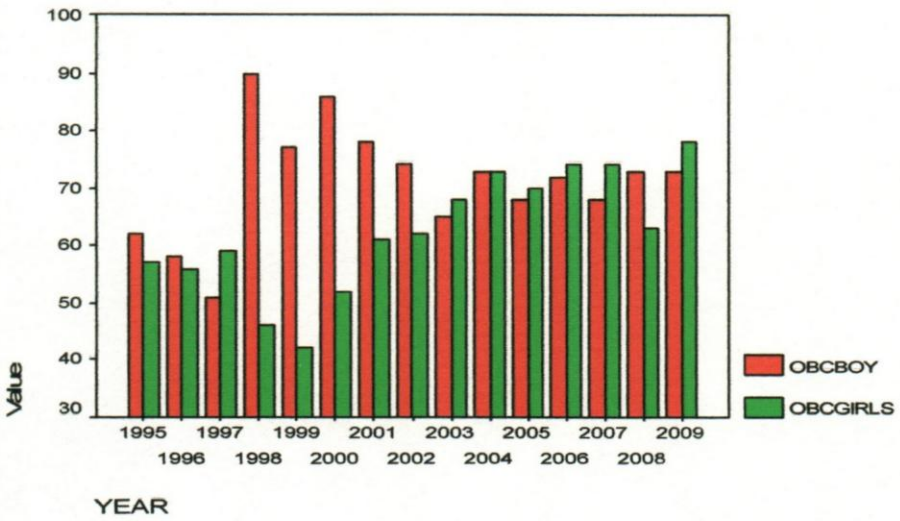

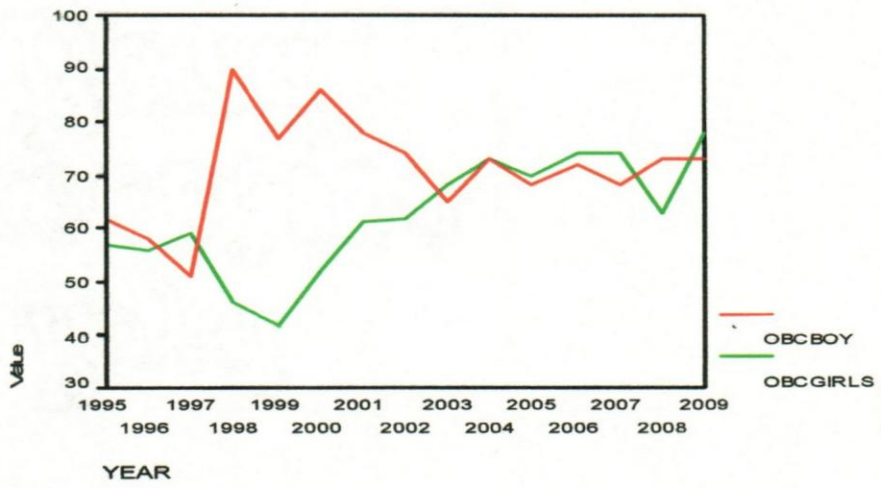

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ के आधार पर देखा जाय साथ तो पिछड़ावर्ग में 1995 से लेकर 2009 तक वार्षिक नामांकन में वृद्धि हुई है। शोधकर्ता प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन लेते समय देखा और लाभार्थी रजिस्टर देखा तो ज्यादातर संख्या ने भोजन ले रहे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का लाभ बच्चे ले रहे हैं।

ग्राफ–4 सामान्य लड़का–लडकी

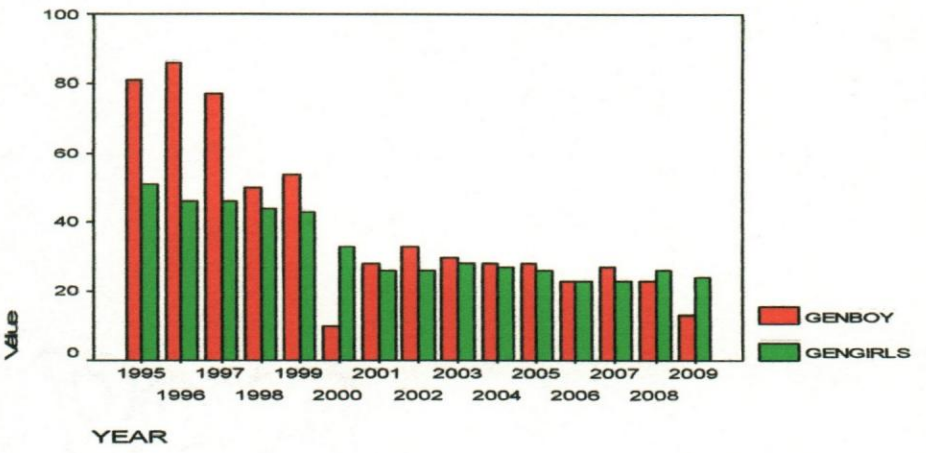

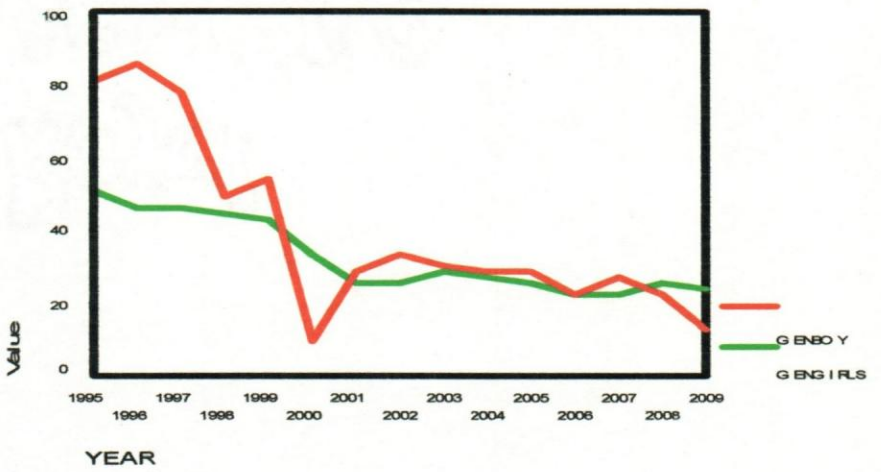

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ के आधार पर देखा जाता है कि 1995–से लेकर 2009 तक नामांकन में निरंतर प्रतिवर्ष कमी आ रही हैं। इस परिवार वाले के बच्चे इसलिए मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर परिवार आर्थिक रूप से अच्छे हैं। इसलिए सामान्य वर्ग अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं। इसमें भी कई परिवार एक अच्छे व्यवसाय के लिए दूसरे शहर में जाते हैं तो,उनके बच्चों को भी साथ में ले जाकर अच्छी निजी स्कूल में प्रवेश दिलवाते है।

उपरोक्त लिखित विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन लेने का कोई सवाल ही नहीं है।

नामांकन तालिका–2

2. श्री दातरडी प्राथमिक शाला वार्षिक नामांकन (1995–2009)

क्रम	वर्ष	कुल संख्या	कुमार	कन्या	एस.सी		एस.टी		ओ.बी.सी		सामान्य	
					कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
1	1995	485	276	209	24	11	-	-	176	103	76	95
2	1996	493	282	211	21	21	-	-	194	97	67	93
3	1997	452	274	178	14	08	1	1	180	81	80	88
4	1998	457	270	186	14	08	1	1	187	87	68	91
5	1999	438	269	169	15	05	1	-	198	86	56	78
6	2000	466	290	176	15	08	-	-	222	98	53	70
7	2001	430	261	169	11	08	-	-	204	100	46	61
8	2002	407	237	170	13	08	-	-	180	100	44	62
9	2003	396	225	171	09	07	-	-	169	111	47	53
10	2004	363	202	161	07	07	-	-	150	108	45	46
11	2005	340	183	157	07	08	-	-	132	116	44	33
12	2006	327	173	154	08	09	-	-	131	119	34	26
13	2007	327	174	151	08	06	-	-	143	123	25	22
14	2008	352	192	160	08	06	-	-	166	136	18	18
15	2009	376	211	165	06	08	-	-	190	140	15	17

उपरोक्त वार्षिक नामांकन तालिका के आधार पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ावर्ग तथा सामान्य वर्ग के लड़का-लड़की के नामांकन के आधार पर सभी का एक ग्राफ बनाया है, जो निम्नानुसार है :-

ग्राफ-1

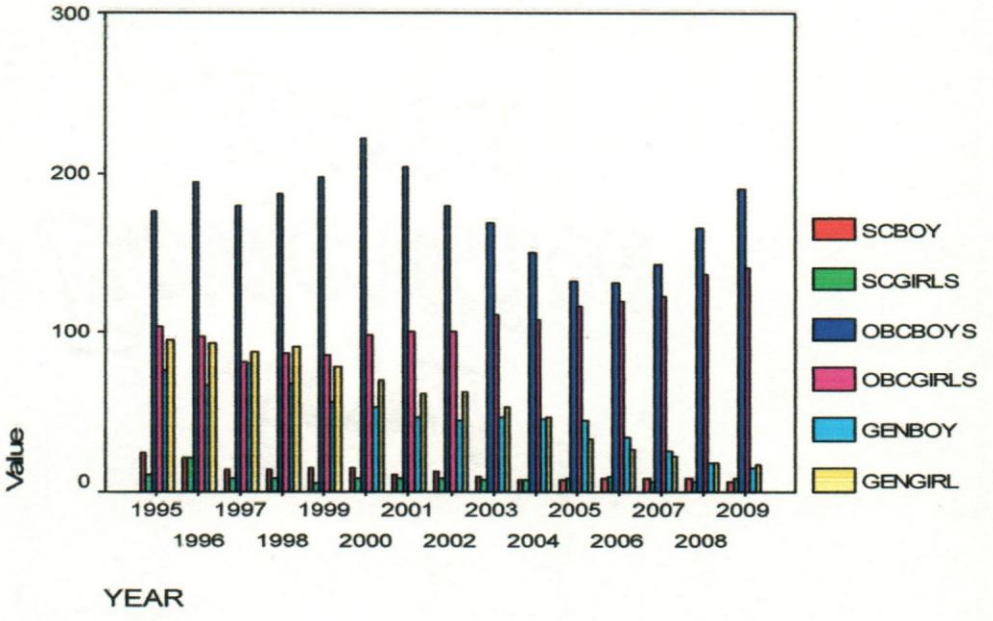

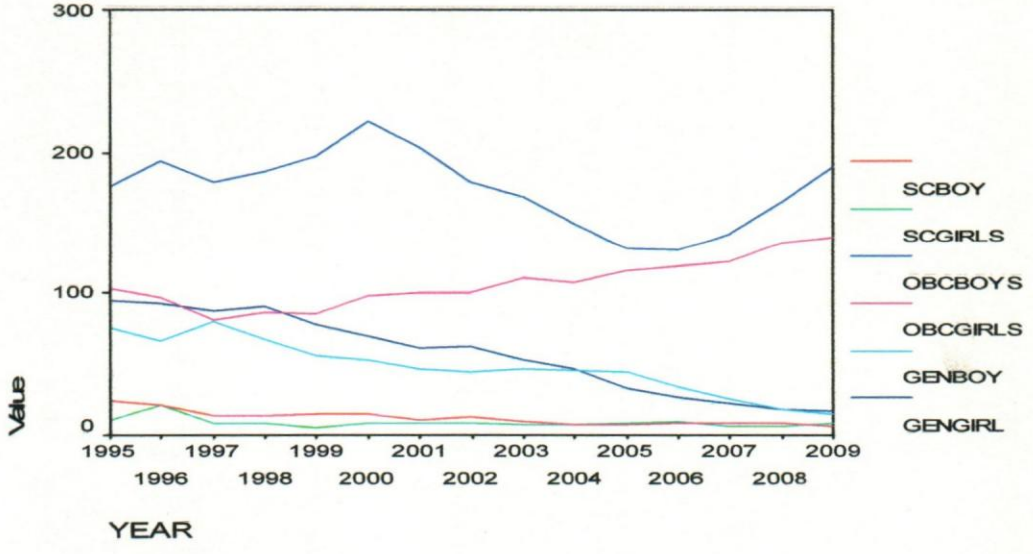

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ के आधार पर कह सकते हैं कि इस प्राथमिक शाला में गाँव के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में 2001 से लेकर 2009 तक देखें तो निरंतर प्रतिवर्ष नामांकन में वृद्धि हुई है

इसका एक कारण है कि इस जाति की संख्या गाँव में ज्यादा है और इसमें से ज्यादातर बच्चे मध्याह्न भोजन लेते हैं लेकिन जब सामान्य वर्ग के बच्चों की संख्या देखें तो 1995 से लेकर 2009 तक आते आते प्रतिवर्ष बहुत कमी दिखाई देती है। इसका दो कारण हैं :-

एक में सामान्य वर्ग के परिवार एक अच्छे व्यवसाय के लिए गाँव को छोड़कर एक बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ अपने बच्चे को साथ में ले जाते है, जहां उनको एक अच्छी निजी स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं।

दूसरा कारण यह है कि गाँव के आसपास निजी स्कूल खुलने से उसका प्रवेश वहां करवाते हैं इसी कारण प्रतिवर्ष संख्या में कमी आ रही है, जो एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अनुसूचित जाति के बच्चे में भी धीरे-धीरे प्रतिवर्ष नामांकन में कमी आ रही है, इसका कारण एक ही है, एक गाँव में अच्छी सी मजदूरी न मिलने पर दूसरे गाँव या शहर में जाकर मजदूरी करते है। इसीलिए नामांकन में कमी आ रही है लेकिन शोधकर्ता ने मध्याह्न भोजन लेने वाले बच्चे (लाभार्थी) की संख्या देखी तो, जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं वे सब मध्याह्न भोजन लेते हैं।

ग्राफ-2 एस.सी.

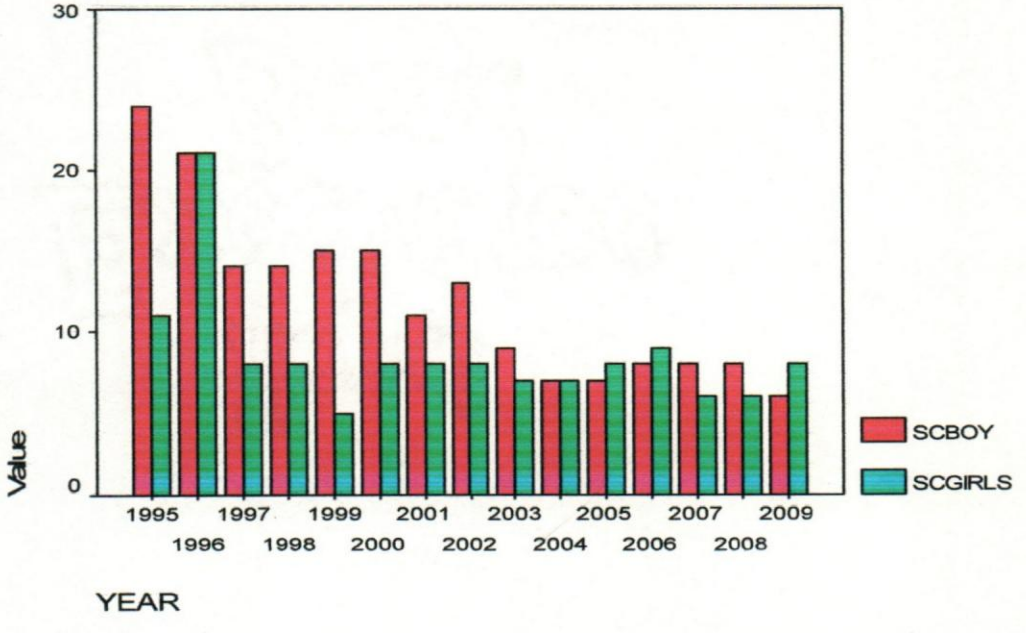

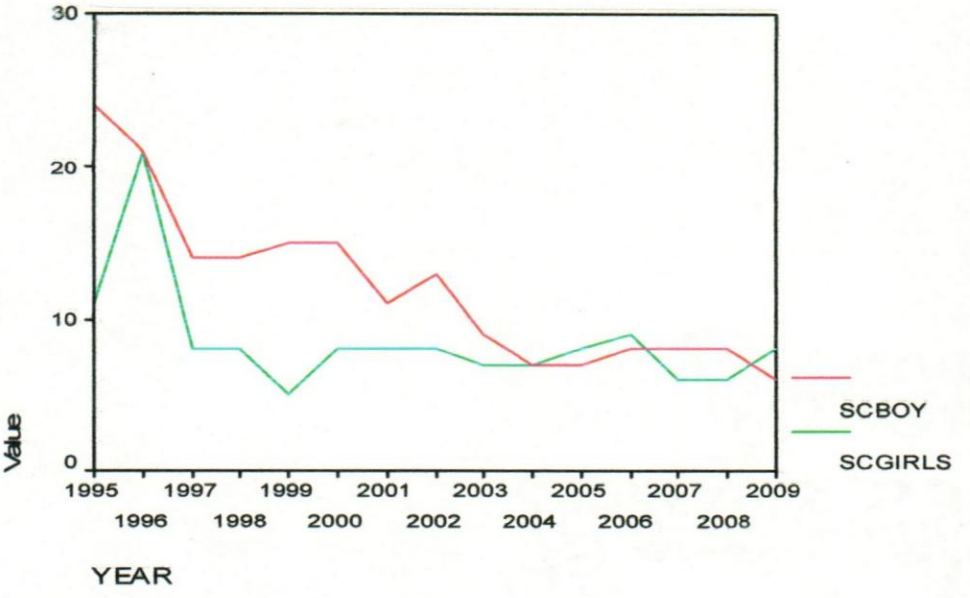

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ -2 के आधार पर अनुसूचित जाति के लड़का-लड़की में प्रतिवर्ष इनमें भी उतार-चढ़ाव आया हो लेकिन संख्या जितनी भी थी वे सब मध्याह्न भोजन लेते थे। नामांकन में कमी का कारण यह है कि आर्थिक रूप से कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं।

ग्राफ-3 ओ.बी.सी.

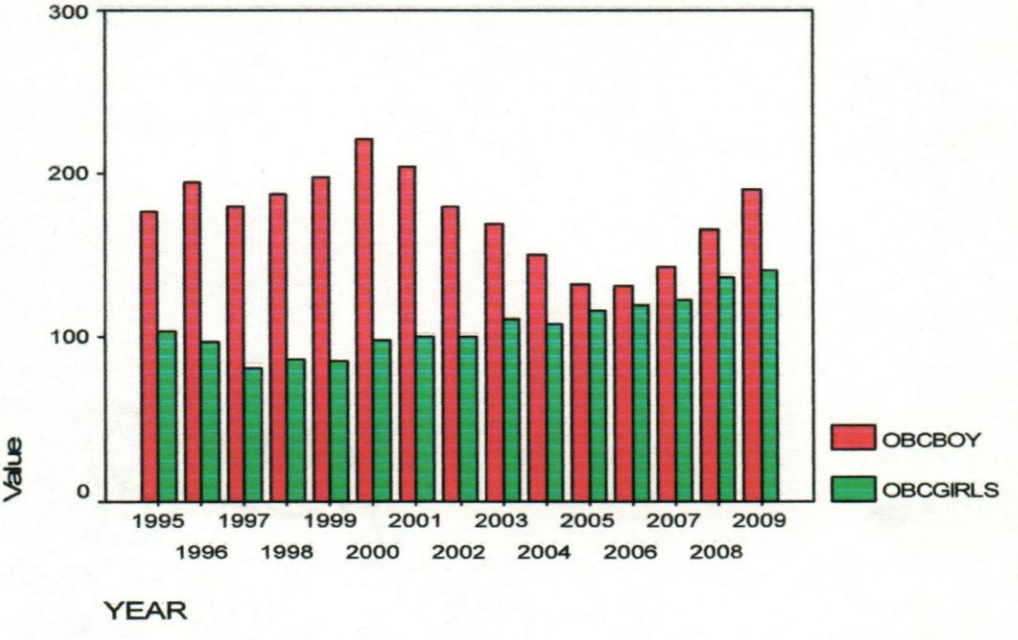

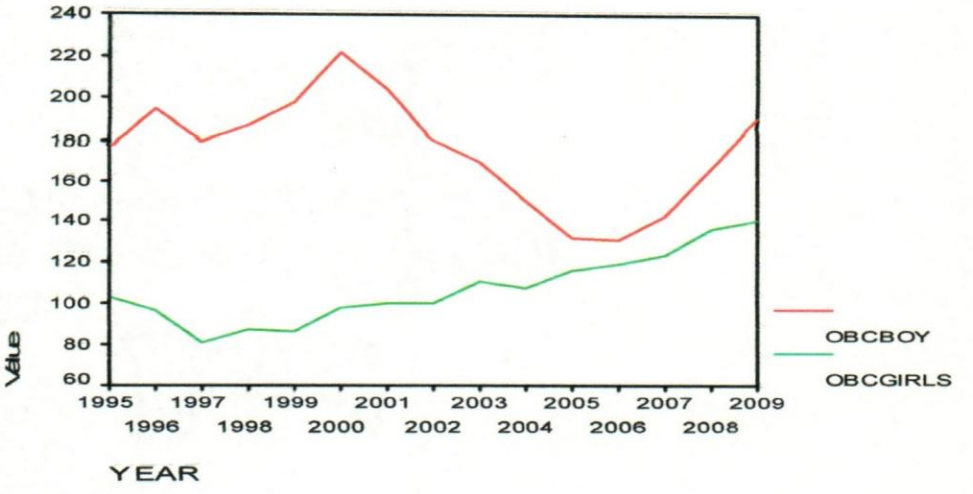

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ के आधार पर कह सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में 1995 से 2009 तक निरंतर वृद्धि हुई है। इस गाँव में इस जाति की संख्या सबसे ज्यादा है इसी कारण प्रतिवर्ष नामांकन में वृद्धि हुई जब प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन लेने बच्चों (लाभार्थी) की संख्या ज्यादातर इस जाति की थी।

ग्राफ–4 सामान्य

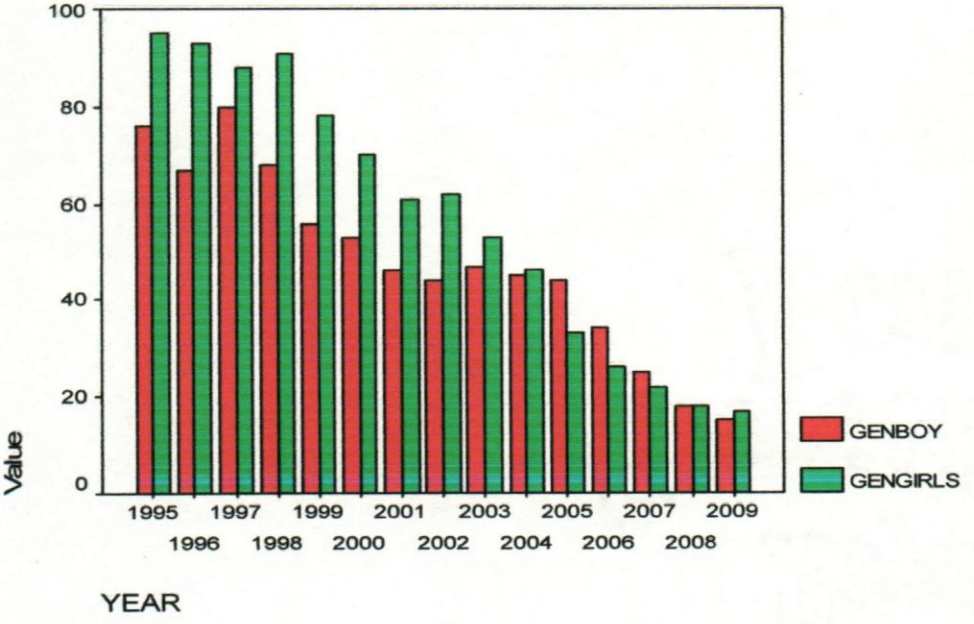

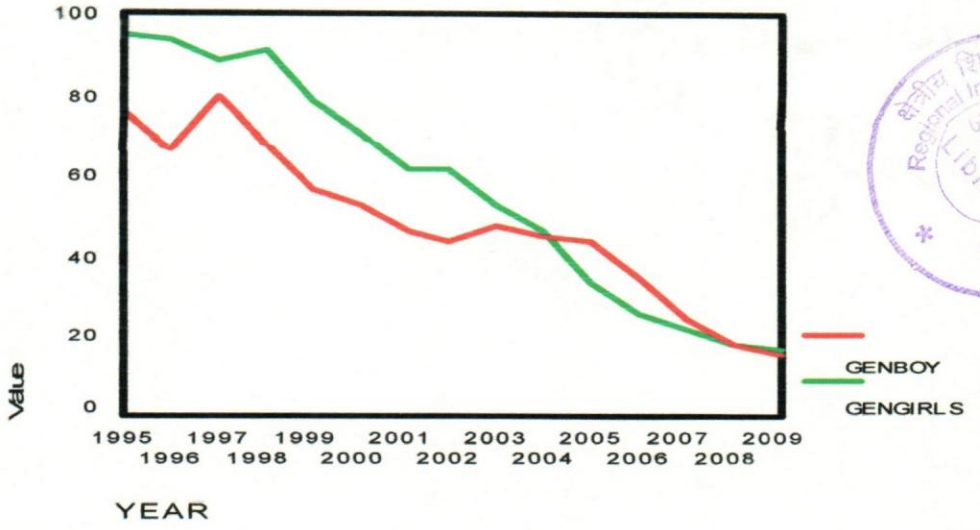

Regional Institute of Education
Library
Bhopal

उपरोक्त नामांकन स्तम्भ/रेखा ग्राफ –3 के आधार पर सामान्य वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्रतिवर्ष कमी आयी है। इसका सीधा कारण यह है कि इस वर्ग के पूरे परिवार के साथ एक अच्छे व्यवसाय के लिए बड़े शहर जाते हैं जहाँ उसके बेटे को एक निजी स्कूल में प्रवेश दिलवाते हो। दूसरा कारण यह है कि गाँव में जितने भी सामान्य वर्ग के परिवार वाले है, उसके बच्चे प्राथमिक स्कूल तो जाते हैं, लेकिन भोजन वह घर पर ही करते हैं।

कुल मिलाकर उपरोक्त सब लिखित विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि सही रूप से मध्याह्न भोजन एकयोंकि, इसमें सामाजिक, आर्थिक रूप से असमानता आ रही है। अनुसूजित जाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के लिए है। लेकिन एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है क स्कूल में वही परिवार के बच्चे आयेगे जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होंगे।

नामांकन तालिका–3

3. श्री समढीयाला–1 प्रथमिक शाला वार्षिक नामांकन (1995–2009)

क्रम	वर्ष	कुल संख्या	कुमार	कन्या	एस.सी		एस.टी		ओ.बी.सी		सामान्य	
					कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
1	1995	116	94	22	05	04	-	-	84	14	05	04
2	1996	114	91	23	04	05	-	-	83	13	04	05
3	1997	119	95	24	05	05	-	-	85	15	05	04
4	1998	104	86	18	03	03	-	-	79	11	04	04
5	1999	161	132	29	01	03	-	-	126	23	05	03
6	2000	123	167	56	04	04	-	-	156	49	07	03
7	2001	273	190	83	04	04	-	-	179	76	07	03
8	2002	344	212	132	04	08	-	-	200	120	08	04
9	2003	418	239	179	07	10	-	-	221	162	11	07
10	2004	462	268	194	07	07	-	-	251	184	10	03
11	2005	518	272	246	06	10	-	-	257	232	09	04
12	2006	494	260	234	06	07	-	-	246	223	08	04
13	2007	531	265	266	05	08	-	-	254	254	06	04
14	2008	555	283	272	07	09	-	-	272	260	04	03
15	2009	568	280	288	05	10	-	-	271	276	04	02

उपरोक्त तालिका–3 में समढीयाला–1 प्राथमिक शाला वार्षिक नामांकन को दर्शाया गया है इसके आधार पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बच्चों का वार्षिक नामांकन स्तम्भ/रेखा ग्राफ द्वारा दिखाया गया हो।

ग्राफ–1

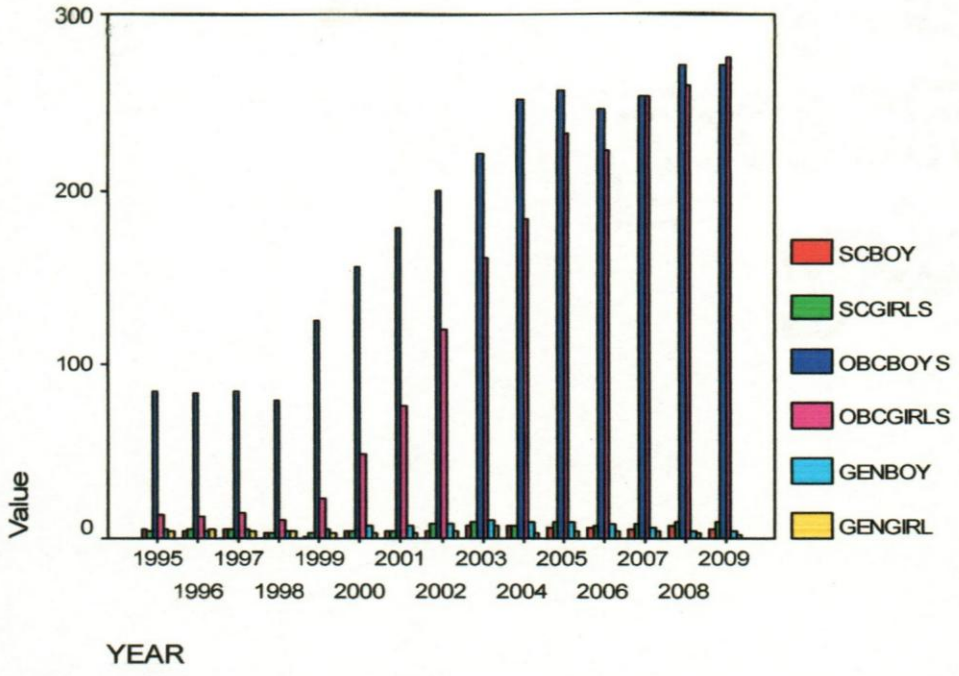

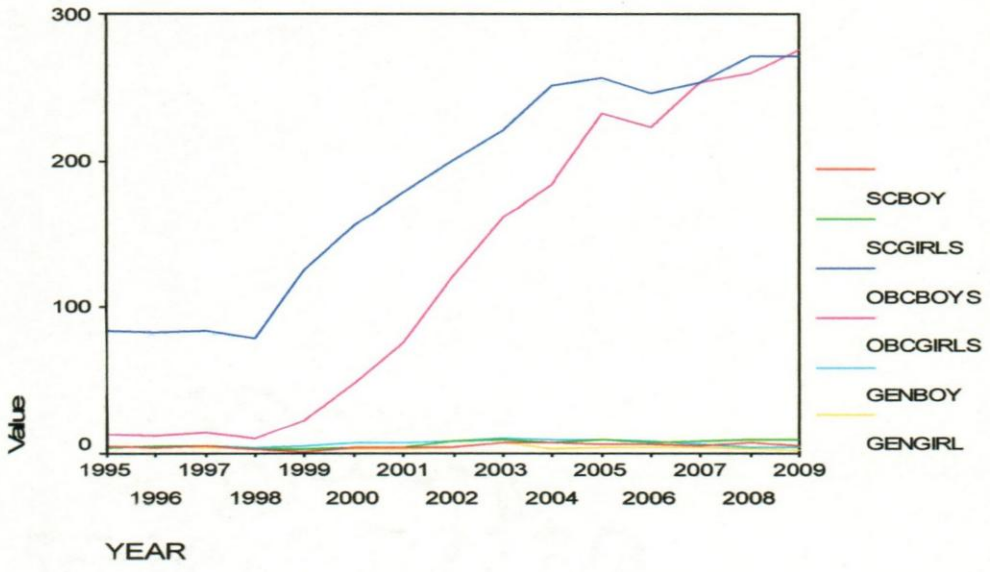

स्तम्भ/रेखा ग्राफ –1 में देखे तो पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़का–लडकियों में 1995 से लेकर 2009 तक बहुत बड़ी संख्या में नामांकन में वृद्धि हुई है। इसका एक कारण यह है कि इस गाँव में ज्यादातर संख्या इस वर्ग की है। जब शोधकर्ता में जब बच्चे मध्याह्न भोजन लेते हैं तब साक्षात्कार लिया गया तो मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या में

बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे। अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या मे भी निरंतर वर्ष के अनुसार नामांकन में वृद्धि हुइ है और जितनी भी संख्या थी वह सब भोजन ले रहे थे सामान्य वर्ग के बच्चों की संख्या इस स्कूल में बहुत ही कम जैसे दो-चार इसमें कोई प्रकार कह सकते हैं कि इस स्कूल में मध्याह्न भोजन का लाभ मोटे पैमाने पर ले रहे थे।

ग्राफ-2 एस.सी.

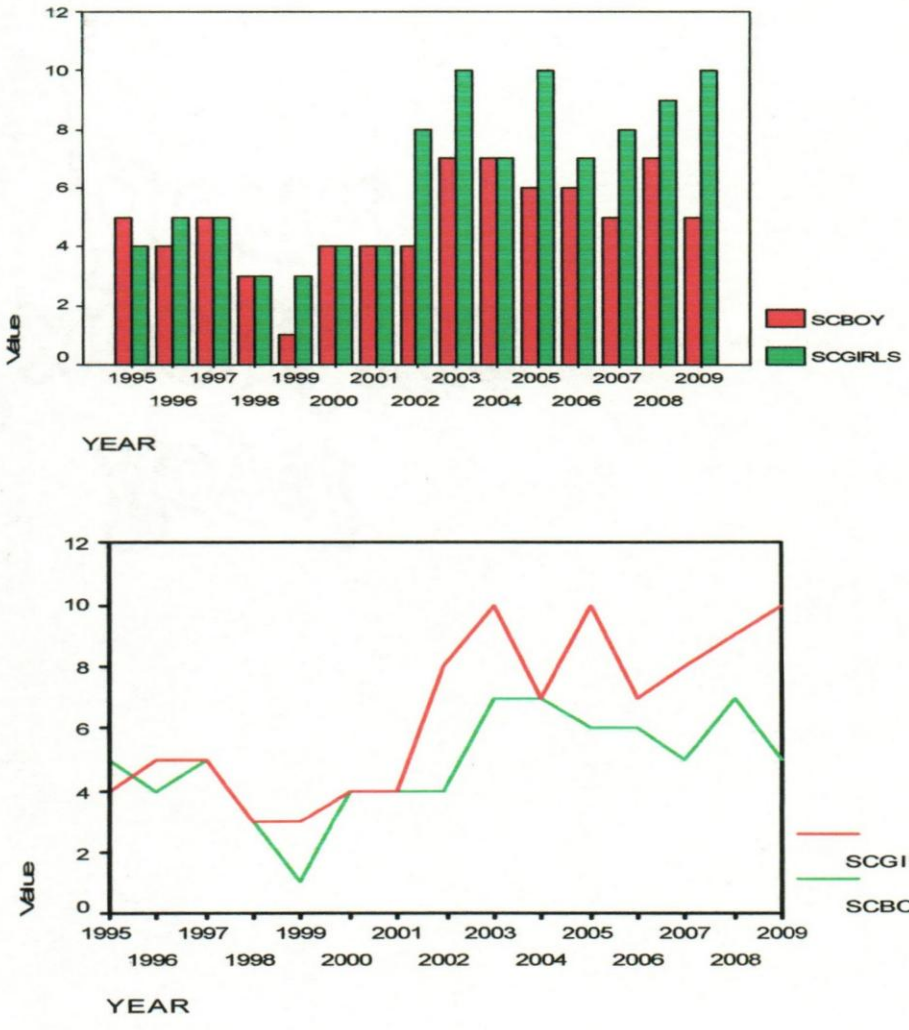

स्तम्भ/रेखा ग्राफ -2 में दर्शायी गई है कि अनुसूचित जाति के बच्चों की नामांकन में प्रतिवर्ष वृद्धि दिखाई देती है। इसमें भी जितने भी संख्या थी वह सब मध्याह्न भोजन का लाभ ले रहे थे। इसके आधार पर

यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्याह्न भोजन का लाभ इस वर्ग के बच्चे ले रहे हैं।

ग्राफ–3 ओ.बी.सी.

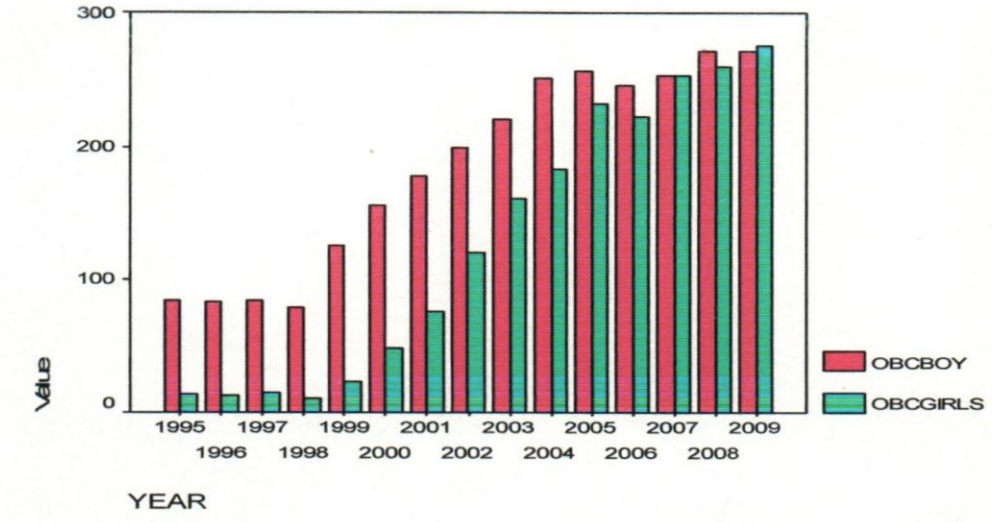

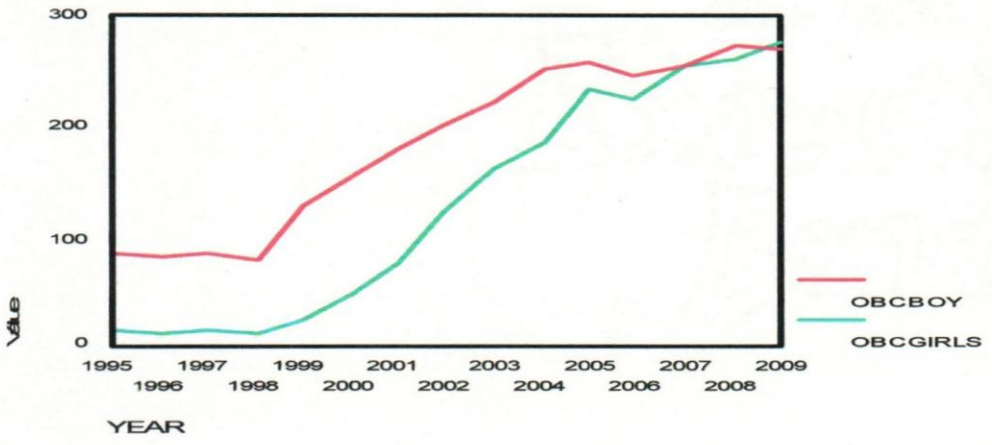

स्तम्भ/रेखा ग्राफ –3 में दर्शाये गये अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को नामांकन ही जो निरंतर प्रतिवर्ष नामांकन में वृद्धि दिखाई पड़ती है इसका यह कारण है कि इस गांव में ज्यादातर संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की हो उसका व्यवसाय जयादातर खेती मजदूरी करते है। शोधकर्ता द्वारा पाँच स्कूलों का साक्षात्कार किया गया इसमें खास करके इस स्कूल में इस वर्ग के ज्यादातर बच्चे मध्याह्न भोजन का खाना खाते थे। जो एक बहुत अच्छा परिणाम है।

ग्राफ–4 सामान्य

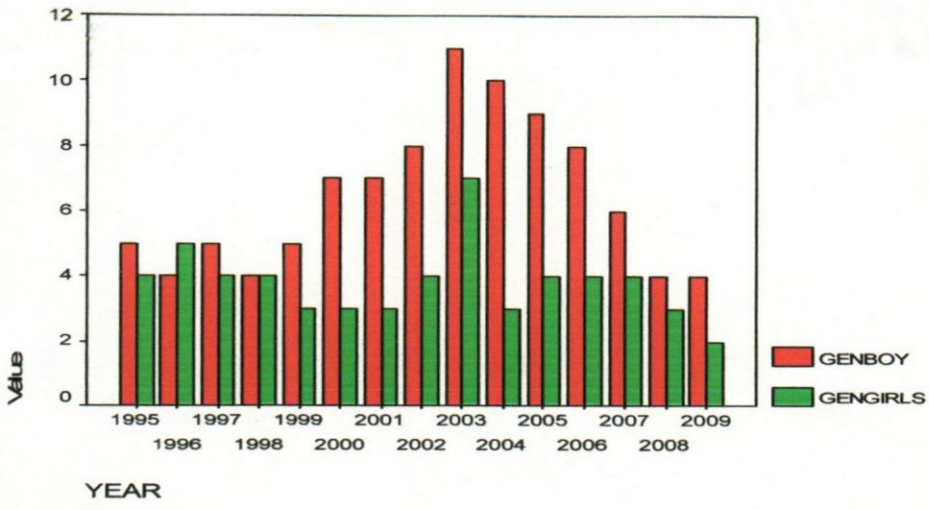

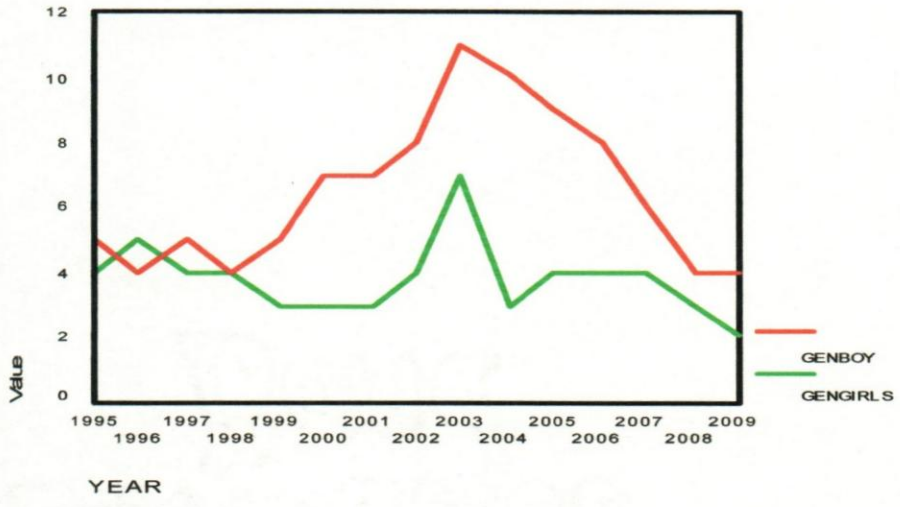

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ –4 के आधार पर देखा जाय तो पता चलता है कि सामान्य वर्ग के बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। इसका एक कारण है कि इस गांव में इस वर्ग की संख्या बहुत कम है दूसरा यह है कि इस परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते है लेकिन खाना घर से साथ में लेकर आते है जो एक साफ विरोधाभास दिखाई पड़ता है।

तालिका–4

4. श्री खाखबाई प्राथमिक शाला वार्षिक नामांकन (1995–2009)

क्रम	वर्ष	कुल संख्या	कुमार	कन्या	एस.सी		एस.टी		ओ.बी.सी		सामान्य	
					कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
1	1995	380	194	186	45	39	-	-	149	147	-	-
2	1996	395	204	191	42	41	-	-	162	150	-	-
3	1997	402	602	196	45	43	-	-	161	153	-	-
4	1998	392	201	191	41	40	-	-	160	151	-	-
5	1999	402	205	197	43	44	-	-	162	153	-	-
6	2000	390	203	195	42	43	-	-	161	152	-	-
7	2001	408	208	200	44	46	-	-	164	154	-	-
8	2002	367	185	182	41	39	-	-	144	136	-	-
9	2003	342	172	170	41	46	-	-	131	124	-	-
10	2004	342	168	174	47	51	-	-	121	123	-	-
11	2005	348	168	180	47	51	-	-	121	129	-	-
12	2006	322	147	175	50	54	-	-	97	121	-	-
13	2007	344	155	189	46	55	-	-	109	134	-	-
14	2008	345	172	173	50	49	-	-	122	124	-	-
15	2009	313	165	148	50	33	-	-	115	115	-	-

उपरोक्त स्कूल में 1995 से लेकर 2009 तक का नामांकन लिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ावर्ग के आधार पर

लड़का–लड़कियों का वार्षिक नामांकन तालिका बनाया गया इसके आधार पर दोनों वर्गो के आधार पर एक स्तम्भ/रेखा ग्राफ बनाया गया।

ग्राफ–1

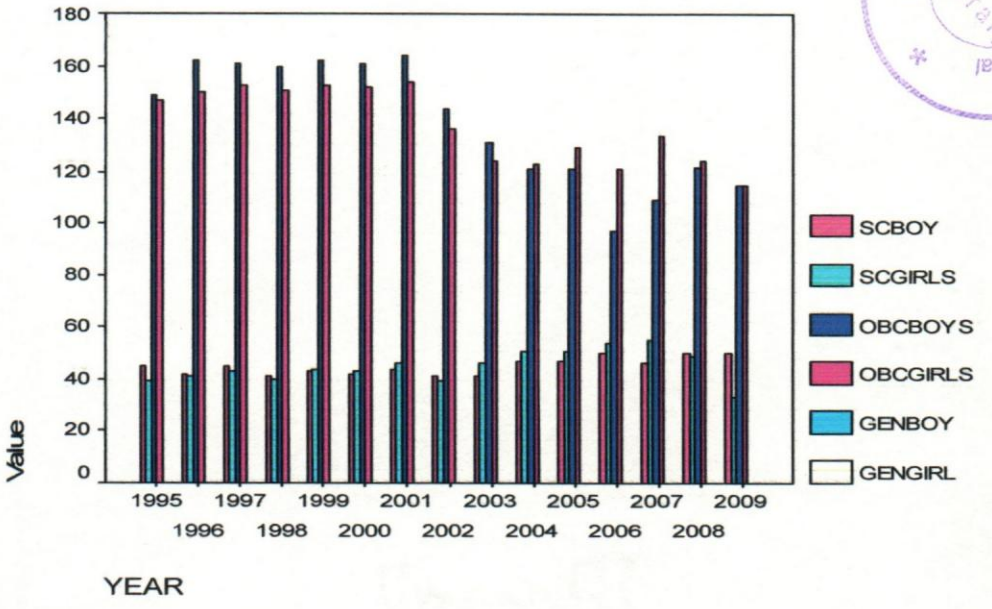

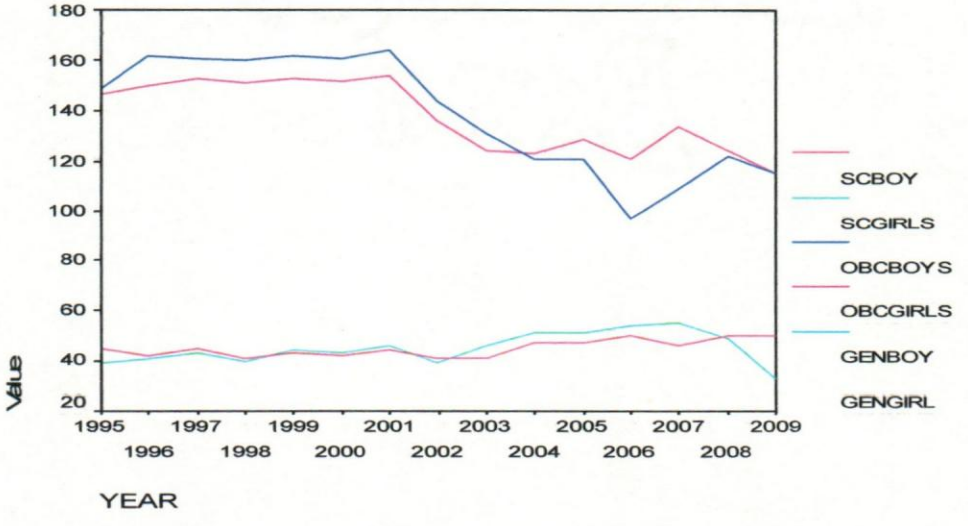

स्तम्भ/रेखा ग्राफ –1 में दर्शाये गये अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का वार्षिक नामांकन देखे तो पता चलता है कि 1995 से लेकर निरंतर प्रतिवर्ष 2009 तक वृद्धि हुई है। जो एक अच्छा परिणाम दिखाई पड़ता ही शोधकर्ता

साक्षात्कार किया गया पता चला कि जितनी भी संख्या थी वे सभी बच्चे मध्याह्न भोजन का खाना खा रहे थे जो सही माइने में सार्थक साबित होता है। इसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों मे भी बहुत बड़ी संख्या में नामांकन वृद्धि हुई है।

इस गांव में दो प्राथमिक स्कूल चल रही है। दोनों में मध्याह्न भोजन योजना चल रही तो इसमे भी इस वर्ग के बच्चों की संख्या ज्यादातर है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले रहे थे।

ग्राफ–2 एस.सी.

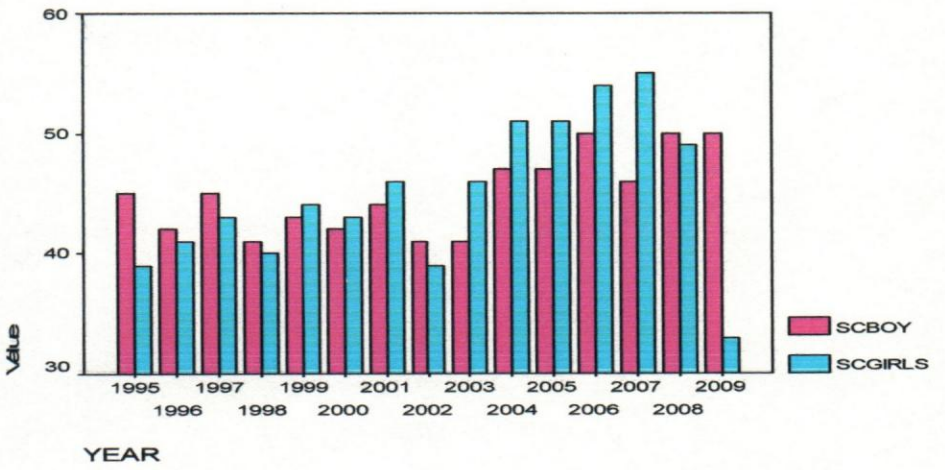

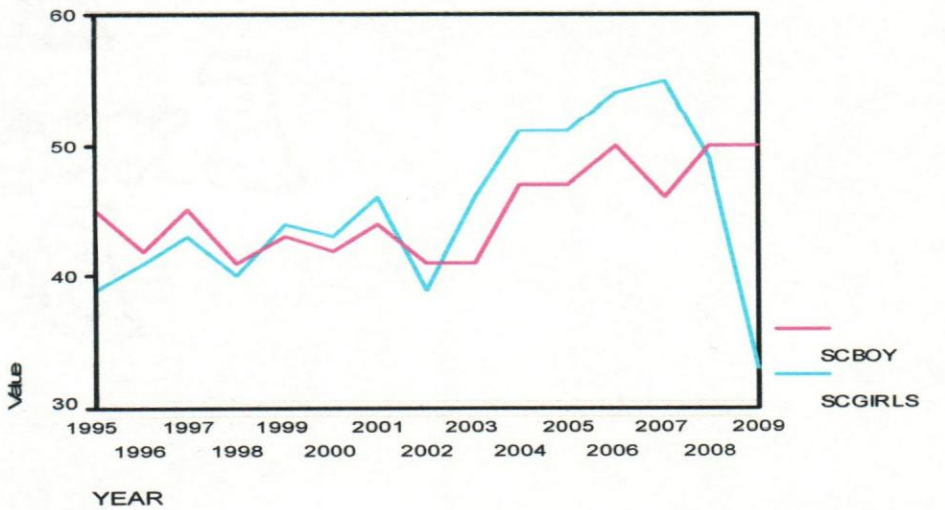

स्तम्भ/रेखा ग्राफ -2 के आधार पर मालूम पड़ता है कि पाँच स्कूलों से इस स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या ज्यादा थी। इसलिए इस वर्ग के सभी बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे थे जो सही माईने में सार्थक एवं सिद्ध साबित होता है।

ग्राफ-3 ओ.बी.सी.

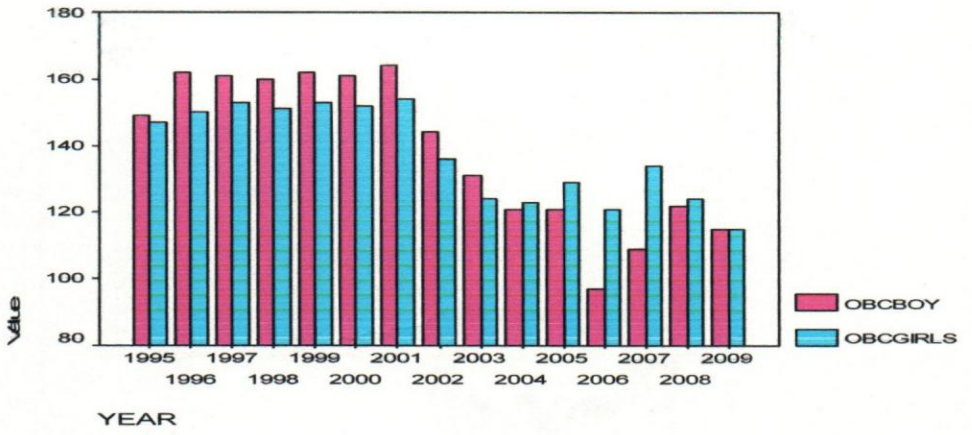

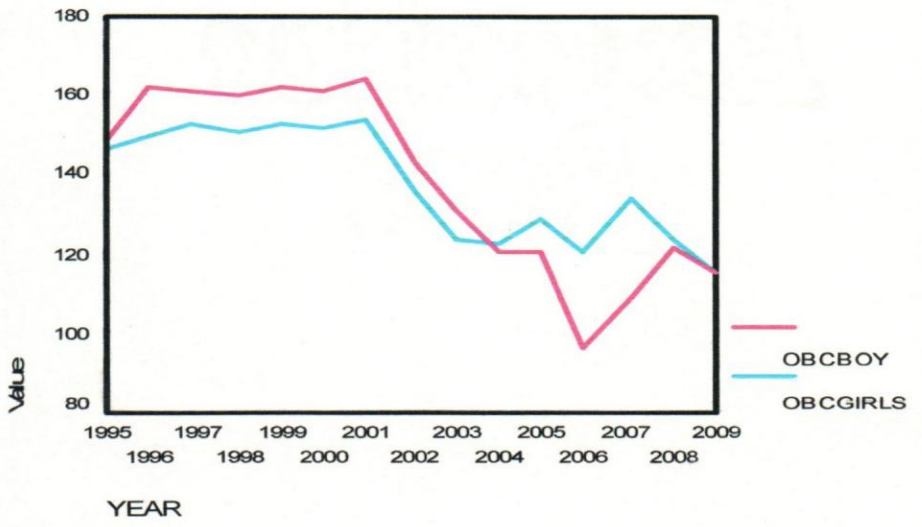

उपरोक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ -3 के आधार पर 1995 से लेकर 2009 में देखें तो नामांकन में धीमी गति से कमी दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि इस वर्ग के पूरे परिवार के साथ जो गुजरात राज्य में सूरत शहर में हीरा उद्योग में एक व्यवसाय के रूप में जाते हैं। इसीलिए

नामांकन में कमी आ रही हो फिर भी जितनी भी संख्या है इसमें से कई बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे।

तालिका–5

5. श्री कागवदर प्राथमिक शाला वार्षिक नामांकन (1995-2009)

क्रम	वर्ष	कुल संख्या	कुमार	कन्या	एस.सी		एस.टी		ओ.बी.सी		सामान्य	
					कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
1	1995	159	96	63	04	02	-	-	43	28	-	-
2	1996	92	58	34	06	01	-	-	52	30	-	-
3	1997	92	58	34	06	01	-	-	52	30	-	-
4	1998	124	78	46	07	01	-	-	78	46	-	-
5	1999	135	85	50	08	02	-	-	77	47	-	-
6	2000	153	93	60	09	05	-	-	84	54	-	-
7	2001	150	86	64	11	06	-	-	75	57	-	-
8	2002	170	92	78	13	07	-	-	79	70	-	-
9	2003	187	101	86	12	12	-	-	89	76	-	-
10	2004	201	109	92	15	10	-	-	94	81	-	-
11	2005	216	102	114	14	10	-	-	88	104	-	-
12	2006	239	108	131	18	13	-	-	90	118	-	-
13	2007	233	102	131	20	21	-	-	82	110	-	-
14	2008	237	106	131	23	22	-	-	83	109	-	-
15	2009	231	107	124	24	30	-	-	82	98	-	-

तालिका–5 में कागवदर प्राथमिक शाला का वार्षिक नामांकन 1995 से लेकर 2009 तक का दर्शाया गया हो, जिससे अनुसूचित जाति एवं अन्य

पिछड़ा वर्ग के लड़का- लड़कियों वार्षिक नामांकन दिखाया गया है। इसके आधार पर स्तम्भ/रेखा ग्राफ -1 में दोनों वर्ग के बच्चों की वार्षिक संख्या दर्शायी गई है।

ग्राफ-1

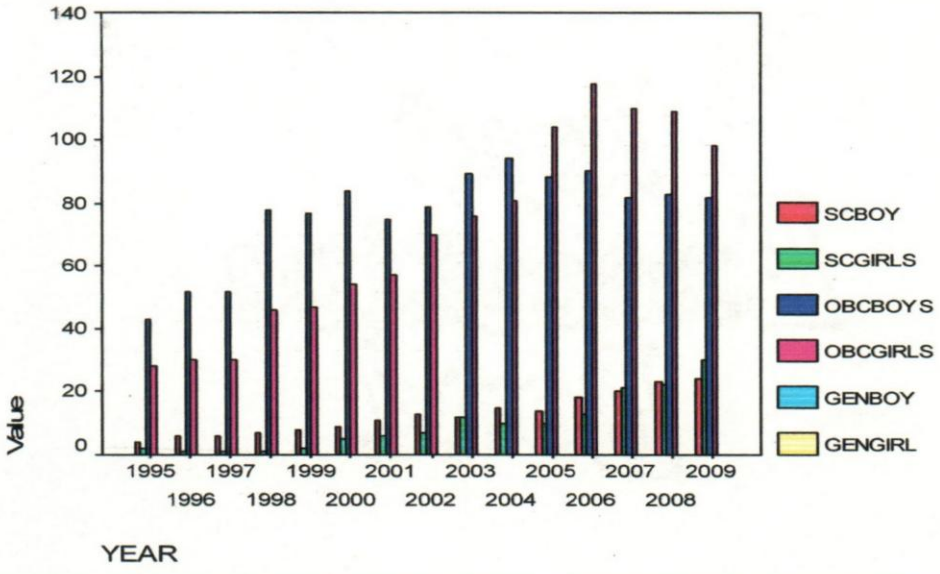

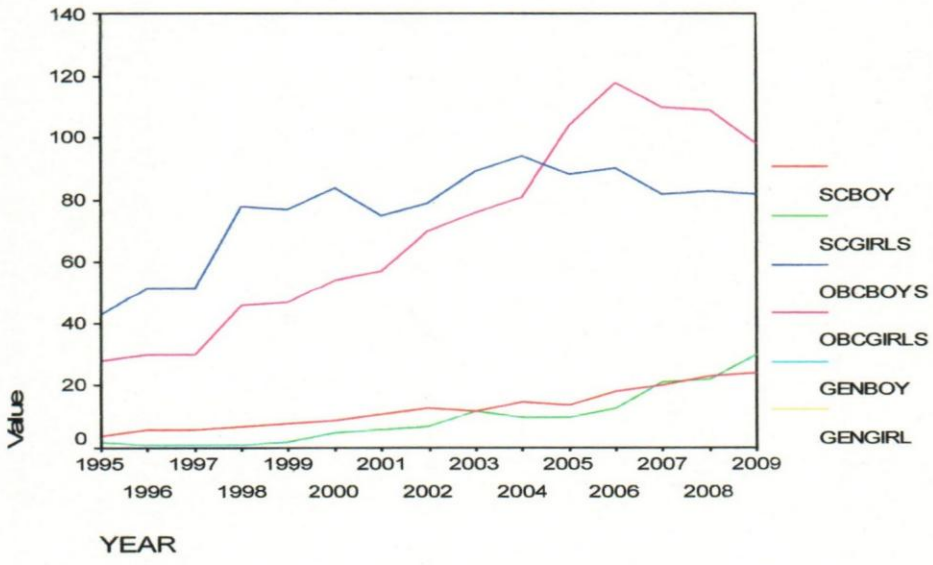

उपयुक्त स्तम्भ/रेखा ग्राफ -2 के आधार पर 1995 से चलकर 2009 तक देखें तो अनुसूचित जाति में प्रतिवर्ष निरंतर वृद्धि हुई है। शोधकर्ता ने साक्षात्कार किया तो यह बात सामने आयी कि जितनी भी

संख्या वे सब बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ ले रहे थे इसमें भी लड़कों की संख्या से ज्यादा लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई हो जो एक लिंग समानता में वृद्धि दिखाई पड़ती है। इसके साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में भी प्रतिवर्ष के आधार पर नामांकन में वृद्धि हुई हो जो एक सार्थक परिणाम हो इसमें भी ज्यादातर संख्या में मध्याह्न भोजन का खाना ले रहे हैं।

ग्राफ-2 एस.सी.

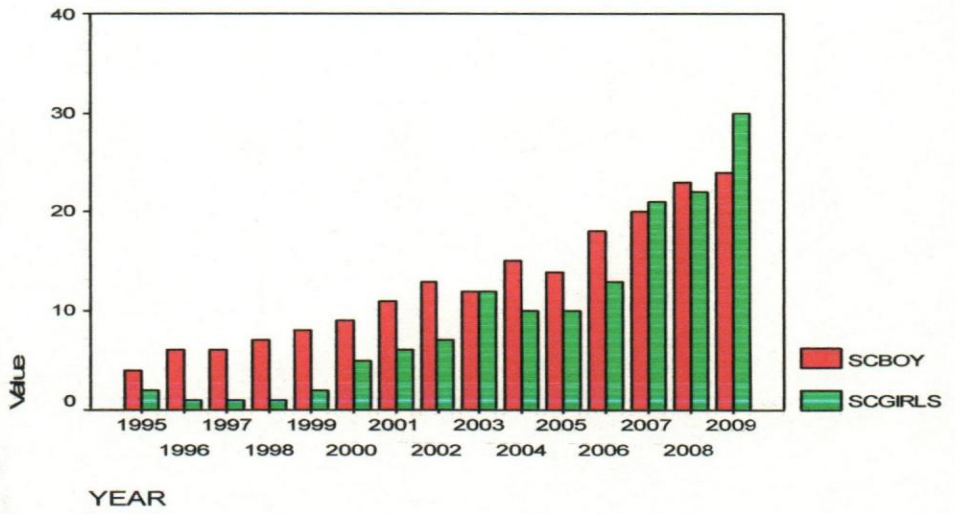

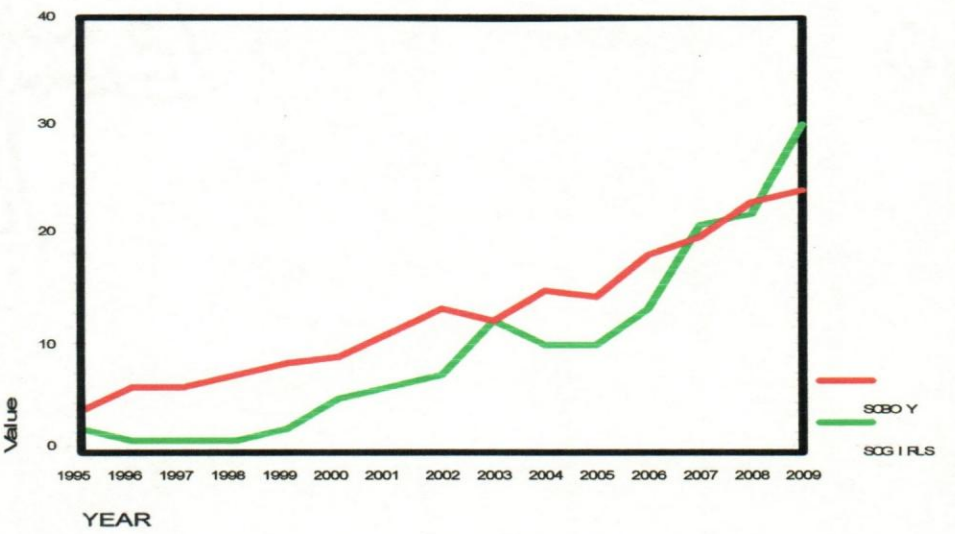

स्तम्भ/रेखा ग्राफ -2 के आधार पर यह सार निकलता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों में प्रतिवर्ष सार नामांकन में वृद्धि होती रही है। शोधकर्ता ने साक्षात्कार करके पता चला कि यह सब बच्चे मध्याह्न भोजन योजना का

लाभ ले रहे थें इसमे भी लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो इस योजना का सार्थक परिणाम साबित होता है।

ग्राफ–3 ओ.बी.सी.

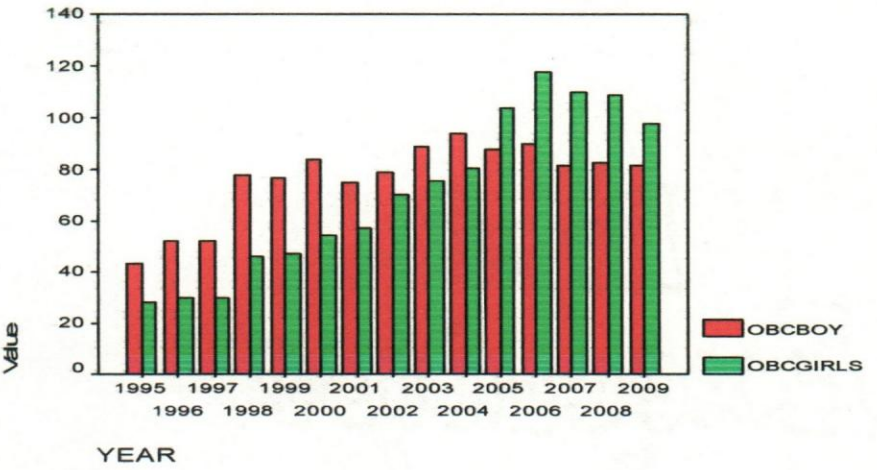

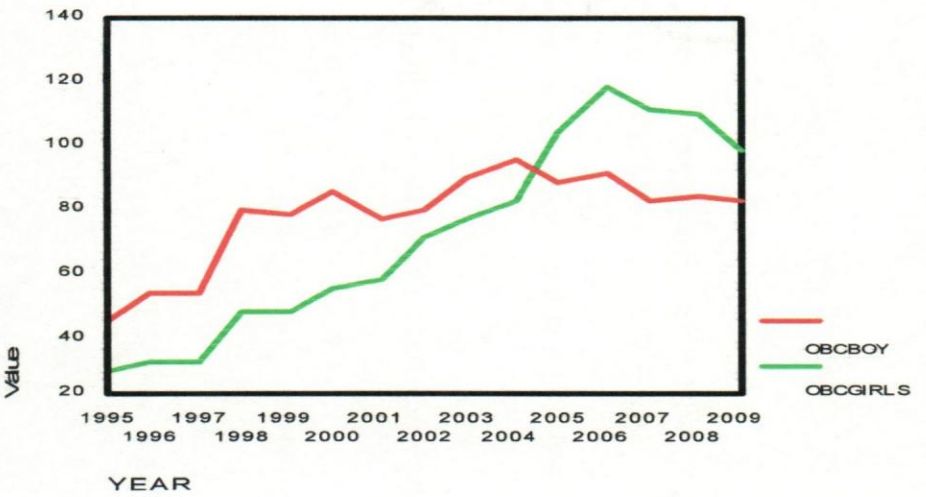

स्तम्भ/रेखा ग्राफ –3 के आधार पर एवं उपरोक्त नामांकन तालिका–5 के मुताबिक देखें तो इस स्कूल में हर वर्ष के आधर पर नामांकन में सतत वृद्धि हुई है जो कि एक सार्थक परिणाम है क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा संख्या इस वर्ग की है। इस प्रकार उपरोक्त संख्या के आधार पर नामांकन में वृद्धि हुई है। इसमें भी खास करके लड़कियों में 1995 से लेकर अब तक सतत प्रतिवर्ष नामांकन में वृद्धि दिखाई देती शोधकर्ता ने प्राथमिक स्कूल में जाकर मध्याह्न भोजन बच्चों (लाभार्थी) का रजिस्टर देखा और साक्षात्कार

करके पता चला था कि इस वर्ग के बहुत सारे बच्चे मध्याह्न भोजन का खाना खा रहे थे जो एक उद्देश्य का सार्थक परिणाम साबित होता है।

कुल मिलाकर पाँच प्राथमिक स्कूल के विविध जाति के बच्चों का वार्षिक नामांकन देखे तो यह मालूम पड़ता है कि, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ज्यादा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 62 साल के बाद भी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए दिखाई पड़ते ही अनुसूचित जाति के जितने भी बच्चें स्कूल जाते हैं वे सब बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थें इन बच्चें के परिवार वाले पूरे दिन मजदूरी करने के लिए खेत में रहते है। छोटे बच्चें को साथ में ले जाते हैं और बडे बच्चे को प्राथमिक स्कूल में ही खाना मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी इस वर्ग में अपनी प्राथमिक जरूरियातो को पूरा करने में कभी कभी असमर्थ साबित होते है दूसरी तरफ देखे तो बहुत बडा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। क्योंकि, भारत के संविधान से लेकर आज तक समानता की बात कही गई है। जिसमें प्राथमिक स्कूल में समानता लाने की बात बताई गई है, लेकिन जब तक एक सभी वर्ग के बच्चे में एक साथ दिखाई नहीं देंगे तब तक असमानता होती रहेगीं। सामान्य वर्ग के परिवार वाले अपने बच्चे को निजी स्कूल में दाखिला दिखवाते है। इस वर्ग के बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ते है तो दोपहर का खाना वह घर में खाते है या घर से खाना खाते ही यह सब देखे तो समानता और भाईचारे की भावना कहा से आयेगी।

उपरोक्त लिखित चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता हो लेकिन जब मध्याह्न भोजन की बात कहे तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने खास करके इन्हीं वर्ग के लिए ही यह योजना बनाई गई है। जो इसका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है।

विधान (ब) :- बच्चों को पोषणयुक्त आहार प्रदान कराना।

हमारे देश में आधुनिक युग में भी यानि कि आज के वर्तमान युग में भी 35 प्रतिशत ऊपर गरीबी रेखा के नीचे जी रहे है इसमें भी ऐसे भी परिवार वाले हैं जो दो समय का भोजन नहीं मिल पा रहा हैं इसके कारण प्राथमिक स्कूल में जाना तो बहुत दूर की बात है इस कारण भारत सरकार के शिक्ष विभाग ने आर्थिक एवं सामाजिक रूप में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विविध योजनाएं बनाई गई जिसमें खास करके बच्चों के पोषणयुक्त आहार मिले ओर स्कूल में नामांकन में वृद्धि हो इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना चालू की गई है।

शोधकर्ता ने शोध प्रश्नों के आधार पर आंशिक संरचित साक्षात्कार/अवलोकन अनुसूची का उपयोग किया, जिसमें मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों को साक्षात्कार करना, उनके अभिभावकों को साक्षात्कार, मध्याह्न भोजन योजना के संचालक का साक्षात्कार करना, मध्याह्न भोजन योजना को बनाने वाले रसोइयाँ का साक्षात्कार करना, मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी करने वाले शिक्षकों, ग्राम पंचायत के सरपंच तथा विविध सदस्यों को मिलकर साक्षात्कार करना।

उपरोक्त सभी का साक्षात्कार किया गया और उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया गया। सबसे पहले गुजरात राज्य के विविध जिल्ला के आधार पर साप्ताहिक मध्याह्न भोजन तालिका निम्नालुसार है :

विविध जिला के अनुसार साप्ताहिक मेनु तालिका

क्रम	जिले का नाम	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
1	अमरेली	लापसी/दाल	दाल चावल	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	रोटी/ सब्जी	पुलाव
2	भावनगर	लापसी/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	मिश्रित दाल बाटी	मिश्रित दाल	दलिया/ सब्जी	खीचडी
3	जुनागढ	रोटी/ सब्जी	खीचडी/सब्जी	लापसी/सब्जी	दाल चावल	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी
4	पोरबंदर	रोटी/ सब्जी	खीचडी/सब्जी	लापसी/दाल	दाल चावल/ सब्जी	सब्जी/पराठा	पुलाव/सलाड
5	जामनगर	खीचडी/सब्जी	दलीया/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	लापसी	लापसी/सब्जी	मिश्रित पुलाव
6	राजकोट	लापसी/सब्जी	खीचडी/सब्जी	दाल बाटी सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	लापसी/सब्जी	नमकवाली खीचडी/सब्जी
7	सुरेद्रनगर	रोटी/ सब्जी	खीचडी/सब्जी	लापसी/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	रोटी/ सब्जी	नमकवालीखीचडी/सब्जी
8	कच्छ-भूज	मीठे चावल	लापसी/सब्जी	रस मठीया	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	धारी,लापसी सब्जी
9	बनासकांठा	दाल चावल/ सब्जी	रोटी/सब्जी	खीचडी/सब्जी	रोटी/ सब्जी	मिश्रित/सब्जी खीचडी	सुखडी लापसी
10	साबरकांठा	पुलाव	मठीया	दाल बाटी चावल	लापसी	दाल बाटी/चावल	पुलाव
11	महेसाणा	मठीया/ सब्जी	खीचडी/सब्जी	लापसी	दाल चावल/ सब्जी	मठीया/सब्जी	खीचडी/सब्जी
12	पाटन	दाल चावल/ बाटी	खीचडी	मठीया	दाल बाटी	लापसी/सब्जी/दलिया	खीचडी/सब्जी/
13	गांधीनगर	मठीया	दाल चावल/ बाटी	खीचडी/सब्जी	दाल बाटी	मठीया	खीचडी/सब्जी/
14	अहंमदाबाद	लापसी	खीचडी/सब्जी	दाल बाटी	चावल/सब्जी	मठीया/हांडवो	पुलाव
15	नडीयाद	खीचडी/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	खीचडी/सब्जी/ पुलाव	सुखडी
16	पंचमहाल	खीचडी/सब्जी	लापसी/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	खीचडी	खीचडी/सब्जी/ दाल बाटी	सुखडी
17	दाहोद	लापसी/खीचडी/सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	खीचडी/सब्जी	कंसार
18	बडौदा	खीचडी/सब्जी	लापसी सब्जी दलिया	दाल चावल/ सब्जी	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	सुखडी/ लापसी
19	आनंद	खीचडी/सब्जी	दाल चावल	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	खीचडी/ मिश्रितसब्जी	लापसी
20	भरुच	खीचडी/सब्जी	लापसी सब्जी दलिया	दाल बाटी	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	पुलाव
21	नर्मदा	खीचडी/सब्जी	लापसी सब्जी दलिया	दाल चावल/ सब्जी	लापसी	लापसी/सब्जी	सुखडी
22	सुरत	खीचडी/सब्जी	लापसी सब्जी दलिया	दाल बाटी	दाल बाटी	खीचडी/सब्जी	खीचडी/सब्जी
23	वलसाड	लापसी/दाल	दाल चावल/ सब्जी	दाल चावल/ मठीया	खीचडी/सब्जी	लापसी/ दाल	पुलाव
24	नवसारी	खीचडी/सब्जी	मठीया	दाल चावल/ सब्जी	मिश्रित लापसी	दाल बाटी/कचुम्बर	सुखडी/शीरो
25	डांग	लापसी/दाल	पुलाव/खीचडी/सब्जी	उपमा/ दाल/ सब्जी	दाल चावल/ सब्जी	खीचडी/सब्जी	खीचडी/सब्जी

शाला 1 शोधकर्ता ने विधान–2 में बच्चों को पोषणयुक्त आहार प्रदान कराना उसके आधार पर मध्याह्न भोजन लेने वाले बच्चों को मिलकर, उसके अभिभावक को मिलकर तथा इस योजना के निगरानी करने वाले स्कूल के आचार्य, ग्रम पंचायत के विविध सदस्यों, मध्याह्न भोजन के संचालक तथा उसको बनाने वाले का साक्षात्कार करके यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्याह्न भोजन योजना में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सम्पूर्ण सहयोग मिल रहा है। लेकिन मध्याह्न भोजन को चलाने वाले संचालक जिसमें तहसील से लेकर गांव की निगरानी में असमर्थ हो रहा है। क्योंकि इसके साप्ताहिक मेनू के आधार पर भोजन न मिलना। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूँ के आटा में विविध पोषणयुक्त तत्वों को शामिल किया, जो निम्नानुसर है :–

स. **सूक्ष्म पोषक तत्वों से मिश्रित गेहूं का आटा।**

गुजरात राज्य नागरिक पुरवठा निगम ली, गांधीनगर के आधार पर एक बच्चे के लिए 50 ग्राम गेहूँ का आटा में शामिल तत्व :–

सूक्ष्म पोषक तत्वो	**50 प्रति.आर.डी.ए. के अनुसार**
1. केल्सियम	225 मि.ली. ग्राम
2. आर्यन	7.5 मि.ली ग्राम
3. आयोडीन	50 कि.ग्रा.
4. झींक	5 मि.ली ग्राम
5. विटामीन अे.	200 कि.ग्रा.
6. रीओफ लेवीन	0.5 मि.ली. ग्राम
7. अेस्कोरवीक एसिड	20 मि.ली. ग्राम

8. कोलीक एसिड 20 के.जी.

9. विटामिन बी. 112 0 के.जी

उपरोक्त विविध पोषण युक्त तत्वों के आधार पर बच्चों को भोजन मिलता है। फिर भी मध्याह्न भोजन योजना संचालक के असहयोग के कारण खाना अच्छा न बनना, खाने में कंकण आना विविध समस्याएँ सामने आयी है।

शाला 2 इस स्कूल में शोधकर्ता ने सब बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे तब साक्षात्कार किया। तब बच्चो ने बताया कि साप्ताहिक मेनू के आधार पर भोजन न मिलना, खाने में कभी कभी कंकण आना, खाना अच्छे ढंग से न बनाना इत्यादि समस्याएँ सामने आयी हुई है। तब शोधकर्ता ने संचालक से साक्षात्कार लिया तो बताया कि अच्छा गेहूँ का आटा न आना पहले के हिसाब से सस्ता अनाज एवं पैसे मिलते है, इसमें समय के अनुसार मंहगाई के मुताबिक नही मिल रहा है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अच्छे से आयोजन करके दे तो मध्याह्न भोजन का खाना अच्छी तरह से मिल सकता है।

शाला 3 इस स्कूल में शोधकर्ताओ ने जब बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे, तब साक्षात्कार किया तो बताया कि मध्याह्न भोजन शुक्रवार को (सब्जी–रोटी) को खाना अच्छा मिल रहा है। कुल नामांकन में से ज्यादातर बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे। जब शोधकर्ता ने संचालक से साक्षात्कार किया तो बताया कि इस योजना में जितना भी कुछ मिलता है वे सबका उपयोग कर देता हूँ और बच्चों को अच्छा भोजन देने के लिए मैं तत्पर हूँ

जब मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी करने वाले शिक्षकों, ग्राम पंचायत को विविध सदस्यों से मुलाकात की तब बताया कि मध्याह्न भोजन योजना इस गाँव के प्राथमिक स्कूल में सही रूप से चल रहा है।

शाला 4 इस स्कूल में जाकर शोधकर्ता ने जब बच्चे मध्याह्न ले रहे थे तब उसका साक्षात्कार किया उसके बाद शिक्षकों, संचालक एवं ग्राम पंचायत के विविध सदस्यों से मुलाकात की। इसके आधार पर बताया कि ज्यादातर साप्ताहिक मेनू के आधार पर मध्याह्न भोजन मिल रहा है। लेकिन गेहूँ का आटा से विविध वानगी बनाने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। इसमें रोटी नही बन पा रही हैं बच्चों की संख्या बहुत रहती है तो बनाने में मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ज्यादातर साप्ताहिक मेनू के आधार पर आहार मिल रहा है।

शाला 5 इस स्कूल में शोधकर्ता ने मध्याह्न भोजन लेने के समय जाकर बच्चों से साक्षात्कार किया तो बताया कि मेनू के आधार पर खाना मिल रहा है, पीने का पानी भी मिल रहा हैं। शोधकर्ता ने संचालक से साक्षात्कार किया तब बताया कि बच्चों को अच्छा खाना मिले ऐसी हमारी कोशिश रहती है।

कुल मिलाकर उपरोक्त पाँच स्कूलों का साक्षात्कार/अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मुख्य भूमिका के रूप में मध्याह्न भोजन का संचालक है, यदि वह आयोजन के आधार पर खाना बनाये तो व्यवस्थित रूप से खाना बनता ही। उपरोक्त तालिका मे पोषणयुक्त आहार में पोषक तत्व के बारे में विवरण किया गया हो। बच्चों से साक्षात्कार के आधार पर कह सकते हैं कि ज्यादातर स्कूलों में साफ-सफाई नहीं हा`रही है। इसका कारण यह है कि पाँच स्कूलो में संचालक ने रसोइयाँ और मददनीश रखा गया है, जिसमें संचालक का वेतन - पचासों रुपिये, रसोईयाँ का ढाईसो और मददनीश का डेढ़ सौ दिया जा रहा है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि आयोजन के आधार पर खाना बनाये तो बच्चों को पोषणयुक्त आहार मिल सकता है।

(क) विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द्र एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना जागरूक करना।

उपरोक्त विधान के आधार पर कह सकते हैं कि भारत में अनेक जातियां है। भारतीय संविधान में कई जातियों को मिलाकर एक जाति बनाई उसको संविधान में अनुसूचित जाति नाम दिया है। इन जातियों में शुद्रों को निम्न जाति का माना गया और देश में कुछ भागों में तो उन्हें छूना मानकर दिया गया। अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक दृष्टि से सुख-सुविधाओं से वंचित कर दी गई। इन्हें समाज में रहने लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुंए से पानी लेने के मनाही थी। सामाजिक रूप से वंचित होने लगे। आजादी के 62 सालों के बाद भी भारत के कई प्रदेशों में उसकी अस्पृश्यता जैसी बिमारी फैली हुई हैं।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति के प्राथमिक शिक्षा के लिए उनके योजनाएं बनाई। इसमें खास करे मध्याह्न भोजन इन जाति के लिए बनाई है जिसमें यह उद्देश्य रखा गया कि सभी छात्र बिना किसी भेदभाव से एवं परस्पर भाईचारे की भावना जागरूक करना।

शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के लिए मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आंशिक संरचित साक्षात्कार/अवलोकन अनुसूची द्वारा प्राथमिक में जाकर शिक्षकों, छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों से साक्षात्कार लिया गया। शोधकर्ता ने प्रदत्तों का संकलन करके उसका विश्लेषण किया जो निम्नलिखित है:-

शाला 1 इस स्कूल में जाकर शोधकर्ता ने जब बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे थे। तब साक्षात्कार किया गया तो बताया कि अनुसूचित जाति के बच्चों को कभी खाना परोसने के लिए नहीं बोला गया। पहले उसको अलग बिठाया जाता था। अब उसको साथ में बिठाते हो, लेकिन किसी एक ओर से बैठते ही जो एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई पड़ता है। क्योंकि यह छूआछूत तो

समाज में तो व्याप्त है ही लेकिन जब स्कूल में दिखाई देता है, तो एक प्रकार की असमानता कहीं जाती है लेकिन यह सब समाज से ही आता है। हम एक अत्यआधुनिक युग में जी रहे हैं, ऐसा हम दावा कर रहे है लेकिन आज भी भारत के कई प्रदेशों में अस्पृश्यता/छूआछूत दिखाई पड़ती है। यह अस्पृश्यता समाज में तो व्याप्त है ही परन्तु समाज के साथ-साथ स्कूलों में भी उसकी जड़ें फैली हुई है।

भारत के संविधान मे भी अनुच्छेद 46 में लिखा हैं कि-राज्य जनता के दुर्बलत्तर वर्गो के विशेषतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति कर सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान में भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, फिर भी आज भी आर्थिक सामजिक रूप से उठे हुए लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदली है।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग स्कूल से बहुत सारी अपेक्षाएँ रखती है लेकिन एक भद्र समाज के कारण स्कूल में ही दिन-प्रतिदिन बच्चों के प्रति असमानता, अस्पृश्यता देखने को मिलती है।

शाला 2 शोधकर्ता ने इस शाला में बच्चें जब माध्याह्न भोजन ले रहे थें, तब बच्चों से साक्षात्कार किया गया तो पता चला कि इस शाला में भी जाति के आधार पर असमानता दिखाई पड़ती है। सब बच्चे साथ में खाना तो खाते हैं लेकिन इस वर्ग के बच्चों को खाना परोसने के लिए नहीं देते है। अब शिक्षक एवं भोजन लेने वाले छात्रों अभिभावकों को पूछा गया तो बताया कि सौराष्ट्र प्रदेश में पहले से ही चलता आ रहा है। जब इस जाति वाले गाँव के सामने विरोध करते हैं तो गांव वाले इस प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं बोलते। कुछ भी हो परन्तु प्राथमिक शाला में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए।

शाला 3 इस शाला में शोधकर्ता ने अनुसूचित जाति के बच्चों से साक्षात्कार किया गया तो बताया कि पहले तो ऐसा होता था लेकिन अब

नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस गाँव में अनुसूचित जाति के अलावा कोली पटेल नाम की जाति ज्यादातर पूरे गांव में है। इसी कारण प्राथमिक शाला में सामाजिक भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी अनुसूचित जाति के बच्चों को खाना परोसने के लिए अभी तक नहीं दिया है।

शाला 4 इस प्राथमिक शाला में शोधकर्ता ने साक्षात्कार किया तो पता चला कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले संचालक अनुसूचितजाति के हैं परन्तु भोजन बनाने वाले अन्य जाति की महिलाएँ है, जो एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई पड़ता है। क्योंकि संचालक उनका संचालन कर सकता है, लेकिन मध्याह्न भोजन बना नहीं सकता। जब बच्चों से साक्षात्कार किया गया तो बताया कि किसी एक ओर से खाने के लिए बैठते है और उनको खाना परोसने के लिए नहीं देते हैं जो एक प्रकार का विरोधाभास साबित होता है।

शाला 5 इस शाला में शोधकर्ता ने अनुसूचित जाति के बच्चों से साक्षात्कार किया तो बताया गया कि हम खाने के लिए एक ओर बैठते हैं और खाना परोसने के लिए भी नहीं देते हैं। जब शिक्षक एवं अनुसूचितजाति के बच्चों के अभिभावकों से साक्षात्कार किया तो बताया कि इस गाँव में असमानता और सामाजिक भेदभाव रखते हैं।

उपरोक्त पाँच स्कूलों के साक्षात्कार के आधार पर कह सकते हैं कि असमानाता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक भेदभाव प्राथमिक शाला में होना बच्चों की मानसिकता में विरोधाभास साबित होता है। आजादी के 62 साल हो गये फिर भी इस समस्या से न जाने कब उसका अंत आयेगा, उसके बारे मे बताना एक बेवकूफी भरी बात साबित होती है।

भारत के लोक तांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस सशक्त संदेश के साथ अपने वक्तव्य का समापन किया था:''भारतीय जनतंत्र के स्थापना दिवस, 26 जनवरी 1950 से हम एक विचित्र विरोधाभास पूर्ण जीवन का आरंभ करने

जा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर तो हम पूर्ण समानता की रचना कर लेंगे, किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन की विशेषताएं विद्यमान रहेंगी।'' जो बिल्कुल आज के तारीख में भी सार्थक एवं सिद्ध साबित होता है।

उपरोक्त तीनों आधार पर शोधकर्ता ने शोधकार्य का विश्लेषण किया जिसमें, 1) प्राथमिक शाला में नामांकन में वृद्धि होना, 2) पोषणयुक्त आहार मिलना तथा 3) सामाजिक भेदभाव के बिना भाईचारे की भावना लाना। उपरोक्त तीन स्तर के आधार पर विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकाला गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि, तहसील क्षेत्र के आधार पर एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र होना चाहिए महीने में दो या तीन बार मुलाकात लें, साथ ही साथ हर पन्द्रह दिन के अन्दर ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, सभी जाति के बच्चों को खाने के बारे में पूछा जाय कि मध्याह्न भोजन कैसा बन रहा है, इसमें प्राथमिक शाला के आचार्य की निगरानी तंत्र में पूरी भूमिका होनी चाहिए। तब जाकर मध्याह्न भोजन योजना का सही रूप से उपयोग होता रहेगा।